

01. प्रकरण में 43.149 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होना बताया गया है तदनुसार प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र के रकबे , के.एम. एल फाईल एवं समस्त दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन कर अपलोड किया जाकर प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
02. प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण योग्य समतुल्य संपूर्ण गैर वनभूमि वनमण्डलाधिकारी नीमच को हस्तांतरित करवाई जाकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम से अमल-दरामद कराकर खसरा, नक्शा तरमीम शुदा नकल की सत्यापित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।